

राजस्थान-सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ4(इ)(1) (3) संविदा पे-पेंशन / अलेसे-III/12 771-777

दिनांक 10.02.2012

आदेश संख्या 256/2011-12

वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश क्रमांक प02 {16} वित्त /राजस्व /2008 दि0 18.01.2011, के अनुसरण में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों {शिक्षा, चिकित्सा, कोष एवं लेखा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग} एवं किटीकल जिलों {डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, झालावाड़, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर एवं सिरोंही } में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर सेवा निवृत्त सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार को संविदा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस निदेशालय की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 18166 दिनांक 31.01.2011 द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत एवं इस निदेशालय की वेबसाईट पर प्रकाशन किया गया। उपर्युक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आपेदन पत्रों की जाँच के उपरान्त योग्य पाये गये सेवानिवृत्त कार्मिकों को वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प02 {16} वित्त/राजस्व /2008 /पार्ट दिनांक 27.04.2011 एवं 31.01.2012 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर निम्न विवरणानुसार एवं शर्तों के अधीन पूर्णतः अस्थायी आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क. सं.	नाम सर्वश्री	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	जन्मतिथि	65 वर्ष की आयु प्राप्त होने का दिनांक	पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम	पद जिसके विरुद्ध पदस्थापन किया गया है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कल्याण मल मौर्य	AO	14-10-1959	13-10-2015	जिला परियाजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जोधपुर	AAO	रिक्त पद पर

उपर्युक्त नियुक्तियों निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. संविदा कर्मचारी को संविदा उप पद के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 2 {16} वित्त/राजस्व/2008/दिनांक 18.01.2011 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 152 (बी) -2 के अनुसार पे [-] पेंशन के आधार पर मासिक पारिश्रमिक देय होगा लेकिन जो राशि पारिश्रमिक इस आधार पर आवेगी वह नियत रहेगी उसमें आगामी वर्षों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।
2. संविदात्मक नियुक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रभावहीन रहेगी।
3. यह है कि संतोष जनक सेवा नहीं पाये जाने पर एवं अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर 15 दिवस के नोटिस के आधार पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
4. यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई रूप से अनुवन्ध के आधार पर होगी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से नियुक्ति अन्यर्था उपलब्ध होने पर तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जा सकेगी।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन नियुक्त सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी से पद, पे एवं ग्रेड पे व पेंशन भुगतान आदेश के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ही समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

- 6 अनुबन्ध पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व 100 रुपये के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न एनेक्चर बी के अनुसार अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा एवं राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।
 - 7 सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में समेकित पारिश्रमिक के लिए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे ।
 - 8 प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति पर 1/30 दिन का पारिश्रमिक काटा जावेगा ।
 - 9 एक कलेण्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देये होंगे, किन्तु प्रथम 6 माह में 5 आकस्मिक अवकाश देये होंगे । इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
- संलग्न:- अनुबन्ध का प्रारूप

निदेशक

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) [6] संविदा {पे-पेंशन} /अलेसे-III/12771-777 दिनांक:- 10.02.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जोधपुर
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को भेजकर लेख है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त आदेश संख्या के बिन्दु संख्या " 5 " के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी के मूल दरतावेजों यथा पी0पी0ओ0, एल0पी0सी0 , इत्यादि की पूर्ण जाँच करने के उपरान्त कार्यग्रहण से पूर्व बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अनुबन्ध सम्पादित करावेंगे ।
3. संयुक्त निदेशक {कोष एवं बजट}/कर्मिक-I {अलेसे-I/II} कार्या0 हाजा
4. कोषाधिकारी.
5. श्रीपता.....
6. निजी सहायक निदेशक महोदय
7. विशेषाधिकारी कम्प्यूटर शाखा {विबसाईट हेतु }
8. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका/पदस्थापन सीट

संयुक्त निदेशक {कर्मिक-II}